प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 291/2022 दिनांक – 21/7/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7
(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
(स) अधिनियम – .... धाराये – ....
(द) अन्य अधिनियम – धाराये –
अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 391 समय – 1.30 P.M.
ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 20.07.2022 समय – 12.22 पी.एम.
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक– 19.07.2022 समय – 01.20 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :– कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के बाहर
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
1 (अ) नाम – मोहित लोट (ब) पिता/पति का नाम – श्री किशोर लाल
(स) जन्म तिथि/वर्ष – [illegible] वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) व्यवसाय – फोटोग्राफी (र) पता – हरिजन बस्ती, बागर चौक जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पातियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 5,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)........ कोई नहीं........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट........

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(एस.यू) जोधपुर।

विषयः– कानूनी कार्यवाही करवानें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ मोहित लोट पुत्र श्री किशोरलाल जाति वाल्मीकी उम्र 33 वर्ष निवासी हरिजन बस्ती बागर चौक जोधपुर की ओर से निवेदन है कि मेरी नानी श्रीमति भंवरी पत्नि श्री आत्माराम जी नगर निगम जोधपुर में नौकरी करती थी जो सेवानिवृत्त होकर दिनांक 22.02.2021 कों फोत हो चुकी है। मेरी नानी की पैन्शन मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी को दिलानें के लिए मैनें नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली तैयार कर नगर निगम पेश कर दी, जो पत्रावली वर्तमान में श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेंखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के पास पैण्डिग है मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी की तबियत खराब रहती है, इसलियें समस्त कार्यवाही मै ही कर रहा हूं। मै पूर्व में करीब 5 माह पहलें श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम से मिला तों मेरी मौसी के नाम पैन्शन स्वीकृत करवानें के लिए मुझे डराया कि तुम्हारी मौसी की पैन्शन में एतराज हो जायेगा नही तों 2000/– मुझे दे दों, तों मैने डर के मारे पहलें 2000/रूपयें दे दिये फिर भी पैन्शन आदेश नही हुए।

मै दिनांक 14.07.2022 कों स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्री दिनेश कुमार सोनी से मिला, जिसनें मेरे से कहा कि मै आपकी मौसी सुश्री राजेश्वरी के पैन्शन का काम तीन दिन में करवा दूंगा। जिसकी एवज में श्री दिनेश कुमार सोनी सहयक लेखाधिकारी प्रथम नें मेरे से 5000/– रूपयें रिश्वत के मांगे। मै मेरी मौसी के जायज कार्य के लिए श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम को 5000 रूपयें रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेतें रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। श्री दिनेश कुमार सोनी से मेरी काई रंजिश या दुश्मनी नही है ना मेरा कोई लेन देन बकाया है।

अतः रिपोर्ट मय आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश करता हूं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांकः– 19.07.2022
संलग्नः– आधार कार्ड की फोटो प्रति।

भवदीय
एसडी
मोहित लोट पुत्र श्री किशोर लाल
जाति वाल्मिकी उम्र 33वर्ष
निवासी हरिजन बस्ती
बागर चौंक, जोधपुर
मोबाईल नम्बर 8947840043

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 19.07.2022 समय 1.20 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आनें से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
19/07/2022

एसडी
मोहम्मद सलीम
20/07/2022

एसडी
नवीन परिहार
20/07/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 19.07.2022 समय 01.20 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मोहित लोट पुत्र श्री किशोरलाल जाति वाल्मीकी उम्र 33 साल निवासी हरिजन बस्ती बागर चौक जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गासिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मुझ मोहित लोट पुत्र श्री किशोरलाल जाति वाल्मीकी उम्र 33 वर्ष निवासी हरिजन बस्ती बागर चौक जोधपुर की ओर से निवेदन है कि मेरी नानी श्रीमति भंवरी पत्नि श्री आत्माराम जी नगर निगम जोधपुर में नौकरी करती थी जो सेवानिवृत्त होकर दिनांक 22.02.2021 कों फोत हो चुकी है। मेरी नानी की पैन्शन मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी को दिलानें के लिए मैनें नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली तैयार कर नगर निगम पेश कर दी, जो पत्रावली वर्तमान में श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के पास पेण्डिग है मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी की तबियत खराब रहती है, इसलियें समस्त कार्यवाही मै ही कर रहा हूं। मै पूर्व में करीब 5 माह पहलें श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम से मिला तों मेरी मौसी के नाम पैन्शन स्वीकृत करवानें के लिए मुझे डराया कि तुम्हारी मौसी की पैन्शन में एतराज हो जायेगा नही तों 2000/- मुझे दे दों, तों मैने डर के मारे पहलें 2000/रूपयें दे दिये फिर भी पैन्शन आदेश नही हुए। मै दिनांक 14.07.2022 कों स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्री दिनेश कुमार सोनी से मिला, जिसनें मेरे से कहा कि मै आपकी मौसी सुश्री राजेश्वरी के पैन्शन का काम तीन दिन में करवा दूंगा। जिसकी एवज में श्री दिनेश कुमार सोनी सहयक लेखाधिकारी प्रथम नें मेरे से 5000/- रूपयें रिश्वत के मांगे। मै मेरी मौसी के जायज कार्य के लिए श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम को 5000 रूपयें रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेतें रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। श्री दिनेश कुमार सोनी से मेरी काई रंजिश या दुश्मनी नही है ना मेरा कोई लेन देन बकाया है। अतः रिपोर्ट मय आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश करता हूं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कराये।" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री मोहित लोट को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 02.08 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 व परिवादी श्री मोहित लोट का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री मोहित लोट व आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री मोहित लोट को एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के लिए कार्यालय से रवाना किया गया।

वक्त 02.36 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 व परिवादी श्री मोहित लोट पुनः कार्यालय हाजा उपस्थित आये व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि " मैं व परिवादी श्री मोहित लोट कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के कार्यालय के पास पहुँचे। मेरे द्वारा परिवादी श्री मोहित लोट को कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी को आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के लिए रवाना किया गया। मैं गोपनीय रूप से उपस्थिति छुपाते हुये स्थानीय निकाय विभाग के कार्यालय के आसपास ही मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी मेरे पास आकर कार्यालय का डिजीटल वाईस रिर्काडर मुझे सुपुर्द किया। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय का रिकार्डर स्वीच आफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे व श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के मध्य मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी पुत्री श्री आत्माराम के पेन्शन के कागजात बनानें की एवज में पूर्व में मांगी गई रिश्वति राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। जिस पर हम दोनो कार्यालय हाजा उपस्थित आये।" जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री मोहित लोट से आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा उसकी मौसी सुश्री राजेश्वरी पुत्री श्री आत्माराम के पेन्शन के कागजात बनानें की एवज में पूर्व में 2000 रूपयें रिश्वत के

लेना/स्वीकार करना व बाकी के पैसें परिवादी द्वारा कम करनें की प्रार्थना करनें पर आरोपी द्वारा अपनी रिस्क पर काम करनें की एवज में रिश्वत ज्यादा नही होनें का कहतें हुए रिश्वत की स्पष्ट मांग करना एवं परिवादी नें मन् एएसपी को बताया कि वार्ता के दौरान आरोपी द्वारा बाकी की रिश्वत राशि अपनें हाथ की पांच अगुलियों का ईशारा कर पूर्व से निर्धारित पांच हजार रूपयें का ईशारा किया व कल परसों पैमेन्ट देनें लेने की बात हुई। सम्पूर्ण वार्ता सें रिश्वती राशि मांगनें की पुष्टि हुई। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहित लोट को आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा पूर्व में मांगी गई रिश्वती राशि 5,000 रूपयें लेकर बुलानें पर ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी को रिश्वती राशि 5,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 20.07.2022 को कार्यालय में समय 11 ए.एम. पर उपस्थिति आने व अब तक की कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के सभी ब्यूरों स्टॉफ को कार्यालय समय पर कार्यालय में उपस्थित आनें की हिदायत दी गई। ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान हेतु श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जोधपुर के नाम तहरीर जारी श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपर्द कर दो गवाह लानें हेतु पीडब्लूडी कार्यालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 05.50 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 पीडब्लूडी कार्यालय जोधपुर से दो गवाह लेकर उपस्थित आया। जिनका परिचय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पूछा तों उन्होनें अपना नाम श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 43 साल निवासी के-98, बरकतुल्लाह कॉलोनी, आखलिया सर्किल पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल खण्ड जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9461618806 एवं श्री नवीन परिहार पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसिंह परिहार जाति माली उम्र 31 साल निवासी 17--बी, शक्ति कॉलोनी, गली नम्बर 02, रातानाडा जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल खण्ड जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9252370020 होना बताया। गवाहान को दिनांक 20.07.2022 को समय 11 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर मन एएसपी कल दिनांक 20.07.2022 कों अन्य परिवादी व गोपनीय सूत्र संकलन में व्यस्त होनें से श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक को दिनांक 20.07.2022 को समय 11 ए.एम. पर कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आनें की हिदायत दी गई।

दिनांक 20.07.2022 वक्त 10.30 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एसीबी चौकी जोधपुर पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर आयें है।

वक्त 10.40 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहित लोट व दोनों स्वतन्त्र गवाहान पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर आयें है।

वक्त 10.45 ए.एम पर कार्यालय कक्ष में बैठै परिवादी श्री मोहित लोट व दोनों स्वतन्त्र गवाहान से श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री मोहित लोट के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री मोहित लोट व आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के मध्य दिनांक 19.07.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, सुपर्द किये गये। श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को हिदायत दी गई कि परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करे। मन् एएसपी अन्य परिवादी से मिलनें एवं गोपनीय सूत्र संकलन हेतु जोधपुर शहर क्षेत्र में रवाना हुआ।

वक्त 10.55 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस श्री मनीष वैष्णव नें डा0 दुर्गसिह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहित लोट के मूल प्रार्थना पत्र की पत्रावली मय रिकॉर्डर, परिवादी श्री मोहित लोट, दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष सें निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में लेकर आया और परिवादी के मूल प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री मोहित लोट सें दोनों स्वतन्त्र गवाहान से परिचय किया गया तों दोनों गवाहन नें बारी बारी से अपना परिचय श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 43 साल निवासी के-98 बरकतुल्लाह कॉलोनी, आखलिया सर्किल पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल खण्ड जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9461618806 एवं श्री नवीन परिहार पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसिंह परिहार जाति माली उम्र 31 साल निवासी 17-बी, शक्ति कॉलोनी, गली नम्बर 02, रातानाडा जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल खण्ड जोधपुर, मोबाईल

नम्बर 9252870020 होना बताया। जिस पर दोनो गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री मोहित लोट व आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी के मध्य दिनांक 19.07.2022 कों रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता कों कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी श्री मोहित लोट व आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी के मध्य मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई और दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढवाणी गई। परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 11.30 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री मोहित लोट पुत्र श्री किशोरी लाल जाति वाल्मीकी उम्र 33 साल निवासी हरिजन बस्ती बागर चौक जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री मोहित लोट ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 5000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मोहित लोट की जामा तलाशी गवाह श्री मोहम्मद सलीम से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 8947840043 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5000 रूपये जो श्री दिनेश कुमार सोनी को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री मोहित लोट के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोहित लोट को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला महिला कानि.103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक सें फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। परिवादी श्री मोहित लोट को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 1,000/– रूपये अपने पास रखे।

वक्त 12.02 पी.एम.पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित एवं परिवादी श्री मोहित लोट मय श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं श्री गणेश कानि नम्बर 219, श्री प्रकाश कानि. को निजी मोटर साईकिल मय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के लिए रवाना हुए।

वक्त 12.32 पी.एम. पर कार्यालय एसीबी चौकी जोधपुर उपस्थित आयें। ट्रेप कार्यवाही के विस्तृत हालात इस प्रकार है कि वक्त 12.17 पी.एम. पर कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर से थोडा पहलें पहुंचे। मन् निरीक्षक पुलिस नें कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. से ऑन करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8947840043 से आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी के मोबाईल नम्बर 8905161351 पर कॉल करवाकर परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॅायस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। आरोपी द्वारा कार्यालय के बाहर ही आनें का कहनें पर परिवादी को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर सभी ब्यूरों स्टाफ सरकारी वाहन व निजी मोटर साईकिल को गोपनीय रूप सें तिराहे पर खडा करवाकर परिवादी के ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे।

वक्त 12.22 पी.एम पर परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनें सिर पर एक हाथ फेर कर मन् निरीक्षक पुलिस को किया। जिस पर हमराहीयान मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान सहित परिवादी के पास पहुंचकर परिवादी के पास खडे आरोपी को दस्तयाब किया गया और परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। उक्त वार्ता की आईन्दा रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द ट्रासंकिप्ट मूर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री मोहित लोट नें रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री दिनेश कुमार सोनी है, जिसनें मेरे से मेरी मौसी सुश्री राजेश्वरी पुत्री श्री आत्माराम के पेन्शन के कागजात बनानें की एवज में मेरे से अभी अभी 5,000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त कर अपनी पहने हुए जीन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखें है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी से परिचय देकर आनें का मन्तव्य सें अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर होना बताया। जिस पर श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी द्वितीय सें अभी अभी परिवादी श्री मोहित लोट सें 5000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछनें पर बताया कि मैने परिवादी श्री मोहित लोट की मौसी सुश्री राजेश्वरी पुत्री श्री आत्माराम के पेन्शन कागजात बनानें की एवज में मैनें अभी अभी श्री मेहित लोट सें 5,000 रूपयें प्राप्त कर अपनी पहनी हुए जीन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखें है। इतनें में आप लोग आ गये। साहब मेरे से गलती हो गई है। ट्रेप कार्यवाही स्थल मुख्य सडक मार्ग पर होनें एवं उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर में कार्यवाही करनें हेतु उचित व्यवस्था नही होनें के कारण मन् निरीक्षक पुलिस आरोपी को उसी अवस्था में सरकारी वाहन में बिठाकर मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों स्टाफ, परिवादी की उसकी निजी मोटर साईकिल एवं ब्यूरों स्टाफ की निजी मोटर साईकिल सहित उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के कार्यालय से समय 12.28 पी.एम. पर रवाना होकर वक्त 12.32 पी.एम. पर कार्यालय एसीबी चौकी जोधपुर शहर पहुचे। व ट्रेप कार्यवाही के हालात श्रीमान दुर्गसिह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री मोहित लोट एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में एसीबी कार्यालय में रखें पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा-आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर, सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नवीन परिहार से आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम की जामा तलाशी लिरवाई गई तों आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की

बायी जेब से 500–500 रूपयें के नोट होना पाये गये। जिसकों गवाह श्री मोहम्मद सलीम सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री नवीन परिहार सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 5,000/– रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539298
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539299
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539300
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539301
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539302
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539303
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539304
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539305
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539306
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 MC 539307

उक्त भारतीय मुद्रा 5,000/–को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम की जामा तलाशी में पहनें हुए शर्ट की बांयी जेब में एक ओपो कम्पनी का मोबाईल जिसकें आईएमईआई नम्बर 1. 867453041390652 2. 867453041390645 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 8905161351 एवं दूसरी सिम बीएसएनएल जिसके नम्बर 9413133107 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनें हुए जीन्स पेन्ट का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए लोवर की व्यवस्था की जाकर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट कों उतरवाया जाकर लोवर पहनवाया गया। उक्त जीन्स पेन्ट की आगे की बांयी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री मोहित लोट एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में एसीबी चोकी जोधपुर में पानी के कैम्पर से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की गिलास को पानी से आधा भरवाया गया। उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससें सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की बायी जेब को उल्टा करवाकर जेब का धोवन उक्त तैयार घोल के गिलास में डूबोकर लिया गया तों धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग कों गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त जीन्स पेन्ट जिसके आगे की बांयी जेब से रिश्वति राशि बरामद हुई है, उक्त सम्बन्धित स्थान पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जीन्स पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया।

अब तक की कार्यवाही से श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रनिंग नोट की गई। कार्यवाही के दौरान ही आरोपी श्री दिनेश

कुमार सोनी के मकान की खाना तलाशी हेतु एएसपी साहब के निर्देशानुसार श्री रूपसिह निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टाफ शहर चौकी व चालक प्रेमसिंह मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया।

वक्त 04.05 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी। आरोपी के सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाहनें हेतु श्रीमान उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को तहरीर जारी की गई।

वक्त 04.20 पी.एम. पर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम व ट्रेप बाक्स श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 व श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी श्री मोहित लोट एवं श्री मेघराज हैड कानि. मय सरकारी वाहन व चालक कानि. गणेश के उप निदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के लिए नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु रवाना हुआ।

वक्त 05.00 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनें हस्तलिखित से मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रंनिग नोट किया गया तथा आरोपी के सेवा विवरण व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति हेतु तहरीर देकर आज ही ब्यूरों को उपलब्ध करवानें हेतु निर्देशित किया गया है। सेवा विवरण व पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त होनें पर शामिल पत्रावली की जावेगी। एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचकर आरोपी व ट्रेप बॉक्स को मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनें जिम्में लिया।

वक्त 06.00 पी.एम. पर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम का सेवा विवरण एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां विशेष वाहक के साथ मन् निरीक्षक पुलिस को प्राप्त हुई। सेवा रिकॉर्ड व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर शामिल रंनिग नोट किये गये। परिवादी श्री मोहित लोट व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आज अब ट्रेप कार्यवाही में कोई आवश्यकता नही होनें पर कल दिनांक 21.07.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित आनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसी दौरान खाना तलाशी हेतु गये हुए श्री रूपसिह निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व कानि. चालक श्री प्रेमसिंह बाद खाना तलाशी एसीबी चौकी जोधपुर उपस्थित आये।

वक्त 06.10 पी.एम. पर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम का मेडिकल चैकअप एवं कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर जारी कर मन् निरीक्षक पुलिस एवं श्री गणेश कानि. नम्बर 219, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 मय आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकार प्रथम के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. के रवाना हुआ।

वक्त 08.15 पी.एम.पर आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पर उपस्थित आया। एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर पर श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 कों आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया।

वक्त 08.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री गणेश कानि. नम्बर 219, श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट की बांयी जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी.2 , रिश्वति राशि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी का ओपो कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के एवं ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मय रिकॉर्ड के एसीबी चौकी जोधपुर से एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 08.30 पी.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिवश्ति राशि 5000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट की बांयी जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी.2 , रिश्वति राशि बरामद स्थान जीन्स पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी का ओपो कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के आरोपी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये। एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के ब्यूरों स्टाफ को दिनांक 21.07.2022 को समय 09 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदातंय देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 21.07.2022 वक्त 10.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री मोहित लोट कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है।

वक्त 10.15 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मोहित लोट एवं आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के मध्य दिनांक 19.07.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री मोहित लोट के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मोहित लोट के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री रामचन्द्रसिह कानि.नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी दिनेश कुमार सोनी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई।

वक्त 11.10 ए.एम.पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मोहित लोट एवं आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के मध्य दिनांक 20.07.2022 को रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रिश्वति राशि लेन देन वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ताओं कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री मोहित लोट के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मोहित लोट के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री रामचन्द्रसिह कानि.नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मोहित लोट द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी दिनेश कुमार सोनी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकंरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानतेँ हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधाम प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई।

अब तक की कार्यवाही सें परिवादी श्री मोहित लोट पुत्र श्री किशोरलाल जाति वाल्मीकी उम्र 33 साल निवासी हरिजन बस्ती बागर चौक जोधपुर की मौसी सुश्री राजेश्वरी पुत्री श्री आत्माराम के पेन्शन के कागजात बनानें की एवज में आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा परिवादी सें पूर्व में 2000 रूपयें रिश्वत लेनें की बात को स्वीकार करँना एवं दिनांक 19.07.2022 कों परिवादी की मौसी राजेश्वरी की पेन्शन पत्रावली तैयार कर कार्य करनें की एवज में 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा परिवादी श्री मोहित लोट सें दिनांक 20.07.2022 को दौरानें रिश्वति राशि लेन देन 5000 रूपयें प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखना, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी दिनेश कुमार सोनी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन झाईनुमां व बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना तथा रिश्वति राशि 5000 रूपयें रूबरू गवाहान के आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब से बरामद

होना एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के कब्जें से बरामद होना प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी प्लॉट नम्बर 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौराहे के पास, पालरोड जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)
... निरोधक ब्यूरो,
... जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 291/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2550-54 दिनांक 21.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

21.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।